संख्या-387/2023/1563/22-2-2023-17(393)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 जून, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विरेश कुर्मी पुत्र श्री लालधारी, निवासी जनपद-कुशीनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-14573/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05-05-2023) दिनांक-05-05-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विरेश कुर्मी पुत्र श्री लालधारी, जो ग्राम-नरवाजोत पिपरा घाट, थाना-सेवरही, जनपद-कुशीनगर का निवासी है। अभियुक्त विरेश कुर्मी अपने सहअभियुक्तगण राजेन्द्र जयसवाल, श्रीमती रमावती, श्रीमती प्रभावती, श्रीमती कृष्णा, शिवशंकर पासी, राजा कुर्मी, प्रेम कलवार, योगेन्द्र कलवार, जगदीश तथा अलीहसन के साथ मिलकर अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने एवं बेचने का कार्य करते थे, दिनांक 28.04.1998 को जिसे पीकर गुलजार, पूजन, दुर्गा प्रसाद, हरी, हंसराज, वृक्षा, रामजी, परोखन, अब्दुल, हलीम, मनोज, राधाकृष्ण, मोतीलाल, सदाहुसैन, कन्हैया, अशोक, राधेश्याम तथा गोपीचन्द सहित 33 लोगों की मौत कच्ची जहरीली शराब पीने से हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-92/1998 में भा0द0वि0 की धारा-272, 273, 328, 304 में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना के आदेश दिनांक 01.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.07.2022 तक 15 वर्ष, 01 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 06 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली गई है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रहने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी की रिहाई किया जाना उचित नहीं होने व रिहा किये जाने पर आसपास के लोगों में नाराजगी व तनाव पैदा होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अभियुक्त विरेश कुर्मी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने एवं बेचने का कार्य करते थे, दिनांक 28.04.1998 को कच्ची शराब पीने से 33 लोगों की मौत हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विरेश कुर्मी पुत्र श्री लालधारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विरेश कुर्मी (बन्दी संख्या-83/2012) पुत्र श्री लालधारी, निवासी जनपद-कुशीनगर को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-387/2023/1563(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-387/2023/1563/22-2-2023-17(393)/2023

दिनांक 19 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विरेश कुर्मी पुत्र श्री लालधारी, जो ग्राम-नरवाजोत पिपरा घाट, थाना-सेवरही, जनपद-कुशीनगर का निवासी है। अभियुक्त विरेश कुर्मी अपने सहअभियुक्तगण राजेन्द्र जयसवाल, श्रीमती रमावती, श्रीमती प्रभावती, श्रीमती कृष्णा, शिवशंकर पासी, राजा कुर्मी, प्रेम कलवार, योगेन्द्र कलवार, जगदीश तथा अलीहसन के साथ मिलकर अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने एवं बेचने का कार्य करते थे, दिनांक 28.04.1998 को जिसे पीकर गुलजार, पूजन, दुर्गा प्रसाद, हरी, हंसराज, वृक्षा, रामजी, परोखन, अब्दुल, हलीम, मनोज, राधाकृष्ण, मोतीलाल, सदाहुसैन, कन्हैया, अशोक, राधेश्याम तथा गोपीचन्द सहित 33 लोगों की मौत कच्ची जहरीली शराब पीने से हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-92/1998 में भा0द0वि0 की धारा-272, 273, 328, 304 में मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना के आदेश दिनांक 01.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.07.2022 तक 15 वर्ष, 01 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 06 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली गई है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निदिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने, जेल में और आगे निरूद्ध रहने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी की रिहाई किया जाना उचित नहीं होने व रिहा किये जाने पर आसपास के लोगों में नाराजगी व तनाव पैदा होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि अभियुक्त विरेश कुर्मी ने अपने 10 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने एवं बेचने का कार्य करते थे, दिनांक 28.04.1998 को कच्ची शराब पीने से 33 लोगों की मौत हो जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी विरेश कुर्मी पुत्र श्री लालधारी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।